

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 04.09.2024

कूटरचित स्टाम्प का खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह की 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 रामानुज सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 500/2024 धारा 178(3),179,180 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्ता रिकू देवी उर्फ नीलू पत्नी गणेश कुमार निवासिनी हकाम थाना महादेवा जिला सिवान बिहार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

रिकू देवी उर्फ नीलू पत्नी गणेश कुमार निवासिनी हकाम थाना महादेवा जिला सिवान बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 500/2024 धारा 178(3),179,180 भा0न्या0सं0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. प्रशि0 उ0नि0 चंदा कुमारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर